न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : लोक बंधु, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 49/2018

अपीलांट–
मुकनाराम पुत्र रामाराम
जाति मेगवाल निवासी
पूनड़ों की बस्ती उण्डखा
तहसील व जिला बाड़मेर

बनाम

रेस्पोडेंट्स –
1. तहसीलदार बाड़मेर
2. पूनमाराम पुत्र अचलाराम के कायम मुकाम–
2.1 मानाराम पुत्र पूनमाराम
2.2 दयालाराम पुत्र पूनमाराम
2.3 चौखाराम पुत्र पूनमाराम
3. कबीराराम पुत्र अचलाराम के कायम मुकाम–
3.1 कुस्टाराम पुत्र कबीराराम
3.2 फरसाराम पुत्र कबीराराम
3.3 खेताराम पुत्र कबीराराम
3.4 प्रेमाराम पुत्र कबीराराम
3.5 तीजों देवी पत्नी कबीराराम
4. नगाराम पुत्र अचलाराम के कायम मुकाम–
4.1 केवलाराम पुत्र नगाराम
4.2 जूंजाराम पुत्र नगाराम
4.3 खेराजराम पुत्र नगाराम
4.4 केसाराम पुत्र नगाराम
5. जवाराराम पुत्र अचलाराम
6. बालाराम पुत्र अचलाराम के कायम मुकाम–
6.1 घमण्डाराम पुत्र बालाराम
6.2 हमीराराम पुत्र बालाराम
6.3 गजाराम पुत्र बालाराम
6.4 अगरी देवी पत्नी बालाराम
7. बगताराम पुत्र अचलाराम
8. [illegible] के कायम मुकाम–
8.1 [illegible] बीजाराम
8.2 [illegible] के कायम मुकाम–
8.2.1 पुरखा[illegible] पुत्र हलाराम
8.2.2 श्रवण कुमार पुत्र हलाराम

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.05.02 11:03:30 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

Lok
जिला कलक्टर
बाड़मेर

8.2.3 नरपत पुत्र हलाराम
8.2.4 कानूदेवी पत्नी हलाराम
9. जवारा पुत्र आदूराम के कायम मुकाम–
9.1 हमीराराम पुत्र जवाराराम
9.2 राजूदेवी पत्नी जवाराराम
10. शंकरराराम पुत्र अजीताराम
जाति मेगवाल निवासी पूनड़ों की बस्ती
उण्डखा तहसील व जिला बाड़मेर
11. क्मलादेवी पत्नी हुकमाराम जाति गवारिया
निवासी पूनड़ों की बस्ती उण्डखा तहसील
व जिला बाड़मेर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0 काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध आदेश दिनांक 16.09.1998 जो समस्या समाधान शिविर 1998 में आपसी सहमति से संयुक्त खातेदारी की भूमि के विभाजन हेतु तहसीलदार बाड़मेर द्वारा पारित किया।

उपस्थिति :–
1. श्री सुनिल के मेराजा, अधिवक्ता अपीलांट की ओर से उपस्थित।
2. श्री अर्जुनराम बोसिया, अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 8व9 की ओर से उपस्थित।
3. रेस्पोडेंट सं. 1 प्रफॉर्मा पक्षकार।
4. श्री श्रवण प्रजापत, अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 11 की ओर से उपस्थित।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

निर्णय

दिनांक : 18.04.2022

1. अपीलांट की ओर से यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत रेस्पोडेंट तहसीलदार बाड़मेर के द्वारा कृषि भूमि के विभाजन हेतु पारित आदेश दिनांक 16.09.1998 के विरूद्ध पेश की गई हैं।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह है कि मौजा उण्डखा के खेत खसरा नम्बर 80, 79 रकबा क्रमशः [illegible] 00–08 बीघा भूमि के खातेदारान पूनमा, कबीर[illegible] पि0 अचला 1/3 बींजा, जवारा पि0 आदू [illegible]ता 1/6, मुकना पुत्र रामा 1/6 कौम मेगवाल सा0 देह ने समस्या [illegible]माधान शिविर 1998 के तहत उण्डखा में आयोजित शिविर में दिनांक 16.09.1998 को तहसीलदार बाड़मेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.05.02 11:03:30 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

के समक्ष प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र के संलग्न विभाजन नक्शा अनुसार आपसी रजामंदी व समझौता से भूमि व उस पर बनने वाले लगान का विभाजन करने का निवेदन किया। पक्षकारान की पहचान हल्का पटवारी उण्डखा द्वारा की गई तथा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि मौजा उण्डखा तहसील व जिला बाड़मेर में जमाबन्दी वर्ष 2052–2055 के अनुसार खाता सं. 140 के खातेदारान पूनमाराम, कबीराराम, नगाराम, जवाराराम, बगताराम पि0 अचलाराम, बींजाराम, जवाराराम पि0 आदुराम, शंकराराम पुत्र अजीताराम, मुकनाराम पुत्र रामाराम जाति भांभी निवासी उण्डखा तहसील व जिला बाड़मेर रेकर्डेड खातेदारान हैं तथा इनके द्वारा उक्त एग्रीमेंट में बताये अनुसार भूमि एवं लगान विभाजन का विवरण सही हैं तथा इन्होने जिस अनुसार विभाजन किया हैं मौके पर वे उसी अनुसार काबिज हैं प्रत्येक के हिस्से के अनुसार आने वाली भूमि के अनुसार उक्त विभाजन ठीक है तथा लगान का जो पुनः वितरण किया है वह भी प्रत्येक सह खातेदार के हिस्से में आने वाली भूमि के रकबे एवं उसकी किस्म के अनुसार सही है जहां एक ही खसरा नम्बर के भाग किये गये हैं उसमें जो सीमाओं का विवरण बताया गया है वह ठीक हैं मौके पर उसी के अनुसार काबिज हैं तथा नक्शे में भी जो सीमाओं का विवरण दिया गया हैं वह भी मौके की स्थिति के अनुसार ही हैं। इस पर तहसीलदार बाड़मेर द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट एवं पक्षकारान की सहमति के आधार प्रस्तुत विभाजन इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.09.1998 पारित किया गया। अपीलांट ने उक्त विभाजन स्वीकृति आदेश के विरूद्व यह अपील इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 22.10.2018 को प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने मे हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

3. अपीलांट की अपील मयाद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं अपीलाधीन मूल अभिलेख मंगवाया जाकर अवलोकन किया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अपीलांट व रेस्पोडेंट्स के अधिवक्तागण को सुना। अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता ने प्रकट किया कि पटवारी उण्डखा द्वारा अपीलांट व सह खातेदारान को उनके कब्जा व रहवास अनुसार बंटवाड़ा करने का आश्वासन दिया था एवं अनपढ़ अपीलांट ने पटवारी के कथनों पर विश्वास कर अपने कब्जे–काश्त अनुसार तरमीम होना मानकर ही बंटवाड़ा प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किये थे किन्तु अब अपीलांट

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.05.02 11:03:30 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

को यह पता चला हैं कि खसरा नम्बर 80 में बंटवाड़ा अपीलांट के कब्जे–काश्त अनुसार नहीं किया गया। जिससे अपीलांट की रहवासीय ढाणी व पैतृक कब्जे की खातेदारी भूमि रेस्पो० सं. 8 व 9 के कब्जे–काश्त में चली गई हैं। ऐसी स्थिति में आलौच्य बंटवाड़ा आदेश निरस्त किया जाकर पुनः कब्जे–काश्त अनुसार बंटवाड़ा तरमीम किया जाना न्यायोचित हैं। आलौच्य बंटवाड़ा आदेश के समय रेस्पो० बीजांराम व जवारारास को खसरा नम्बर 80 में दो टुकड़ों में भूमि दी गई थी किन्तु राजस्व नक्शे में बंटवाड़ा तरमीम के समय अपीलांट के कब्जे रहवास के पूर्व दिशा में कर दी व दूसरे टुकड़े की तरमीम पश्चिम दिशा में कर दी, जिससे अपीलांट का कब्जा, पैतृक रहवासी ढाणी जिस पर अपीलांट का करीब 50 वर्षो से कब्जा रहवास लगातार रहा हैं रेस्पो० सं. 8 व 9 के गलत तरमीम से उनके हिस्से में चली गई। आलौच्य बंटवाड़ा आदेश में सम्पूर्ण भूमि 181–04 बीघा के स्थान पर 177–04 बीघा का ही विभाजन किया गया हैं अर्थात् 04–00 बीघा कम का बंटवाड़ा किया गया हैं तथा इसके सम्बन्ध में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया हैं। अपीलांट के हिस्से में 1/6 के अन्तर्गत 30–04 बीघा भूमि आती हैं किन्तु विभाजन में अपीलांट को 28–03 बीघा भूमि दी गई हैं जो कि नियमानुसार गलत हैं तथा तहसीलदार किसी खातेदार की भूमि कम करने का अधिकार नहीं हैं। अधीनस्थ राजस्व अधिकारी तहसीलदार बाड़मेर द्वारा समस्या समाधान शिविर के दौरान एक ही दिन में अपीलांट को बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड बंटवारे का कहकर अपीलांट की उसके कब्जे–काश्त अनुसार भूमि का बंटवाड़ा नहीं कर गलत रूप से बंटवाड़ा किया गया हैं जो निरस्त योग्य हैं। अतः अपीलांट की यह अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन विभाजन स्वीकृति आदेश निरस्त फरमाया जावें।

5. अपीलांट के योग्य अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि अपीलाधीन बंटवाडा आज से 20 वर्ष पूर्व हुआ था किन्तु चुंकि खातेदारान पक्षकारान ने अपने कब्जे–काश्त अनुसार ही 50 वर्षो से वादग्रस्त भूमि पर काबिज है, इसलिये अपीलाधीन गलत बंटवाड़ा आदेश होने की जानकारी नहीं हुई। अर्सा दो माह पूर्व आत्माराम पुत्र बींजाराम, पुरखा, हलाराम पुत्र बींजाराम ने जाहिर किया कि वादग्रस्त आराजी में वादीगण का कब्जा रहवास ढाणी व सेढा हमारी खातेदारी का है इसलिये [illegible] खाली करों। इस तथ्य की जानकारी होने पर राजस्व [illegible] हेतु आवेदन पेश किया तथा दिनांक 29.06.2018 को [illegible] होने पर तथा नामान्तरकरण सं. 629 की प्रति दिनांक 17.09.2018 को प्राप्त होने पर उसमें उल्लेखित बंटवाड़ा आदेश की नकल दिनांक 12.10.2018 को प्राप्त होने पर उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.05.02 11:03:30 IST
Reason: SelfAttested

जानकारी हुई जिस पर सम्यक तत्परता व सद्भावना से यह अपील पेश की गई हैं, जो अन्दर मयाद हैं। इसके बावजूद भी कानूनी औपचारिकताओं की पूर्ति हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन हैं कि अपीलांट की ओर से यह अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को सद्भाविक मानते हुए अपील उपर्युक्त आधारों पर अन्दर मयाद शुमार करते हुए स्वीकार फरमावे तथा विवादित आराजी में अपीलांट के कब्जे रहवास व विधिक हक अनुसार लगान व जोत का अंकन पुनः बंटवाड़ा करने के आदेश फरमावें।

6. रेस्पोडेंट सं. 8 व 9 की ओर से अधिवक्ता द्वारा जवाब में निवेदन किया कि विवादित आराजी का अपीलांट बंटवाड़ा आपसी सहमति से निष्क कब्जा–काश्त अनुसार हुआ था किन्तु अपीलांट चालाक हैं जिसने गलत तथ्यों के आधार पर उक्त अपील प्रस्तुत की हैं। अपीलांट एवं रेस्पोडेंट्स ने आपसी सहमति एवं रजामंदी से विवादित भूमि के विभाजन हेतु समस्या समाधान शिविर उण्डखा में विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार बाड़मेर के समक्ष प्रस्तुत किया जिसमें प्रत्येक खातेदार के हिस्से एवं कब्जे के अनुसार विभाजन नक्शा प्रस्तावित किया गया। तहसीलदार बाड़मेर के समक्ष सभी सह खातेदारान की उपस्थिति को तस्दीक किया गया तथा अपीलांट स्वंय भी उपस्थित हुआ। अपीलांट की सहमति के अनुसार विभाजन उपरांत खसरा नम्बर 80/2 रकबा 28–03 बीघा का राजस्व अभिलेख इन्द्राज हुआ हैं। इसके पश्चात नामान्तरकरण सं. 44 दिनांक 20.10.2006, 93 दिनांक 27.10.2010 एवं 111 दिनांक 21.11.2011 को भिन्न–भिन्न क्रेताओं को जरिये पंजीबद्ध विक्रय पत्र विक्रय कर दिया। अब अपीलांट के हिस्से में शेष भूमि कम होने लगी तब रेस्पोडेंट्स को परेशान करने की गरज से यह अपील प्रस्तुत की गई हैं। जहां तक अपीलांट का कथन हैं कि 04–00 बीघा कम भूमि का विभाजन किया गया हैं तो यह तथ्य अपीलांट द्वारा गलत प्रस्तुत किया गया हैं बल्कि विभाजन से पूर्व ही सभी सहखातेदारान के द्वारा 04 बीघा भूमि राज्य सरकार को समर्पण की गई थी जिसका नामान्तरकरण सं. 625 दिनांक 19.09.1998 द्वारा राजस्व रेकर्ड में अंकन कर दिया गया था। अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील विभाजन स्वीकृति आदेश के 20 वर्ष पश्चात प्रस्तुत की गई हैं तथा अपील प्रस्तुत [illegible] हुई देरी का जो कारण अंकित किया गया हैं व[illegible] चालाक व दीगर मद्यपान का आदी हैं जि[illegible] खसरा नम्बर 80/2 की भूमि में से अजनबी क्रेताओं को जरिये पंजीबद्ध [illegible]क्रय पत्र भूमि का विक्रय किया गया हैं जिनका नामान्तरकरण सं. 44 दिनांक 20.10.2006, 93 दिनांक 27.

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.05.02 11:03:30 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)
जिला कलक्टर बाड़मेर

10.2010 एवं नामान्तरकरण सं. 111 दिनांक 21.11.2011 का राजस्व अभिलेख में अंकन हो गया हैं। खातेदारान द्वारा अपने हिस्से की भूमि का पंजीबद्ध विक्रय पत्र के द्वारा विक्रय किया जाता हैं तो उन्हे अपने हिस्से-कब्जे की जानकारी नहीं होना लाजमी नहीं होगा। विक्रेता द्वारा जहां क्रेता को विक्रय की गई भूमि का कब्जा दिया जाना बताकर बेचान किया जाता हैं उसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में अंकन होता हैं। इस प्रकार अपीलांट द्वारा यह अपील प्रस्तुत करने में अपीलाधीन आदेश की जानकारी होने का जो कारण दर्शित किया गया हैं वह किसी भी दशा में सद्भाविक नहीं हैं तथा समुचित कारण के अभाव में हस्तगत अपील मयाद बाहर होने से खारिज योग्य हैं। अतः अपीलांट की यह अपील मेरिट एवं मयाद के बिन्दु पर खारीज योग्य होने मय खर्चा खारिज फरमाई जावें।

7. हमने अपीलांट एवं रेस्पोडेंट सं. 8 व 9 के अधिवक्तागण द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं अपीलाधीन अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि मौजा उण्डखा के खेत खसरा नम्बर 80, 79 रकबा क्रमशः 180-16, 00-08 बीघा भूमि के खातेदारान पूनमा, कबीरा, नगा, जवारा, वाला, बगता पि0 अचला 1/3 बींजा, जवारा पि0 आदू 1/3 शंकरा पुत्र अजीता 1/6, मुकना पुत्र रामा 1/6 कौम मेगवाल सा0 देह ने समस्या समाधान शिविर 1998 के तहत उण्डखा में आयोजित शिविर में दिनांक 16.09.1998 को तहसीलदार बाड़मेर के समक्ष प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र के संलग्न विभाजन नक्शा अनुसार आपसी रजामंदी व समझौता से भूमि व उस पर बनने वाले लगान का विभाजन करने का निवेदन किया। पक्षकारान की पहचान हल्का पटवारी उण्डखा द्वारा की गई तथा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि मौजा उण्डखा तहसील व जिला बाड़मेर में जमाबन्दी वर्ष 2052-2055 के अनुसार खाता सं. 140 के खातेदारान पूनमाराम, कबीराराम, नगाराम, जवाराराम, बगताराम पि0 अचलाराम, बींजाराम, जवाराराम पि0 आदुराम, शंकराराम पुत्र अजीताराम, मुकनाराम पुत्र रामाराम जाति भांभी निवासी उण्डखा तहसील व जिला बाड़मेर रेकर्डेड खातेदारान हैं तथा इनके द्वारा उक्त एग्रीमेंट में बताये अनुसार भूमि एवं लगान विभाजन का विवरण सही हैं तथा इन्होने जिस अनुसार विभाजन किया हैं मौके पर वे उसी अनुसार काबिज हैं प्रत्येक के हिस्से के [illegible] आने वाली भूमि के अनुसार उक्त विभाजन ठीक है तथा [illegible] किया है वह भी प्रत्येक सह खातेदार के [illegible] भूमि के रकबे एवं उसकी किस्म के अनुसार सही है जहां एक ही खसरा [illegible] के भाग किये गये हैं उसमें जो सीमाओं का विवरण बताया गया है वह ठीक हैं मौके पर उसी के

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.05.02 11:03:30 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

अनुसार काबिज हैं तथा नक्शे में भी जो सीमाओं का विवरण दिया गया हैं वह भी मौके की स्थिति के अनुसार ही हैं। इस पर तहसीलदार बाड़मेर द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट एवं पक्षकारान की सहमति के आधार प्रस्तुत विभाजन इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.09.1998 पारित किया गया। अपीलांट ने उक्त विभाजन स्वीकृति आदेश के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 22.10.2018 को प्रस्तुत की गई है। अपीलांट के द्वारा अपीलाधीन आदेश की जानकारी उल्लेखित दस्तावेजों नकले प्राप्त होने पर होना प्रकट किया हैं जबकि अधिवक्ता रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात अनुसार स्वंय अपीलांट द्वारा उक्त विभाजन उपरांत अपने हिस्से में आई भूमि का समय–समय पर विक्रय किये जाने पर होना अभिलेखीय तौर पर स्थापित हैं। ऐसे में अपीलाधीन विभाजन स्वीकृति आदेश एवं उसके अनुसरण में राजस्व नक्शा में तरमीम की जानकारी नहीं होने का कथन मानने योग्य नहीं हैं। इस प्रकार अपीलाधीन सहमति बंटवाडें के 20 साल बाद हस्तगत अपील पेश की गई हैं तथा विलम्ब का कोई ठोस कारण नहीं दिया हैं। अपीलांट द्वारा ही जब पूर्व में भूमि का बेचान किया जा चुका हैं, इससे साबित होता हैं कि अपीलांट को अपने हिस्से की जानकारी थी। इसके अलावा जहां तक अपीलांट का कथन हैं कि मौके पर विभाजन अनुसार कब्जा–काश्त नहीं हैं तथा उसकी रहवास की ढाणी रेस्पो0 सं. 8 व 9 के हिस्से में आ रही हैं। इस सम्बन्ध में अपीलाधीन विभाजन प्रस्ताव में हल्का पटवारी की रिपोर्ट का अवलोकन करने से स्पष्ट होता हैं कि तत्समय पटवारी द्वारा सम्पूर्ण रूप से मौका की जांच कर अपनी रिपोर्ट में उल्लेख किया हैं कि *''प्रत्येक सह खातेदार के हिस्से में आने वाली भूमि के रकबे एवं उसकी किस्म के अनुसार सही है जहां एक ही खसरा नम्बर के भाग किये गये हैं उसमें जो सीमाओं का विवरण बताया गया है वह ठीक हैं मौके पर उसी के अनुसार काबिज हैं तथा नक्शे में भी जो सीमाओं का विवरण दिया गया हैं वह भी मौके की स्थिति के अनुसार ही हैं।''* ऐसे में 20 वर्ष बाद अब मौके पर यदि किसी प्रकार का फेरबदल हो भी गया हैं कि आज के मौके की स्थिति को अपीलाधीन आदेश की सुसंगती में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता हैं। हस्तगत प्रकरण में यद्यपि [illegible] जाने के आदेश को माननीय राजस्व मण्डल द्वारा अपास्त [illegible] तथा इसके विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन [illegible] हैं किन्तु प्रकरण में मयाद एवं मेरिट की परिस्थितियों को देखते हुए मौके की स्थिति का तथ्य सारवान नहीं होने से प्रकरण को मयाद व मेरिट पर निर्णीत किया जाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.05.02 11:03:30 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

Lok
जिला कलक्टर
बाड़मेर

समीचीन प्रती होता हैं। इस प्रकार हस्तगत अपील मेरिट पर दुर्बल होने के साथ ही मयाद बाहर होने से खारिज योग्य हैं।

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन एवं आधारहीन कथनों पर आधारित होने के साथ–साथ मयाद बाहर होने से खारिज की जाती हैं।

9. निर्णय आज दिनांक 18.04.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

Low

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.05.02 11:03:30 IST
Reason: SelfAttested